

विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
एस०एल०डी०सी० परिसर (निकट मंत्री आवास)
विभूति खण्ड, फेज-2, गोमती नगर, लखनऊ-226010
CIN : U32201UP1999SGCO24928

विज्ञापन सं० 08/VSA/2022/CA

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० हेतु समूह 'ग' के अन्तर्गत "कम्प्यूटर सहायक" के पद हेतु, निम्न श्रेणीवार रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से प्रतियोगितात्मक परीक्षा द्वारा चयन हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले भारतीय नागरिकों से आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम के द्वारा आमंत्रित हैं। व्यक्तिगत रूप से अथवा अन्य माध्यम से विद्युत सेवा आयोग कार्यालय में भेजे गये आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायेगा। श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है :

1. रिक्तियों का विवरण :-

क्रम सं०	पद कोड	पदनाम	अनारक्षित	EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)	अन्य पिछड़ा वर्ग (Non Creamy layer)	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	28	कम्प्यूटर सहायक COMPUTER ASSISTANT	01	00	02	00	00

- उपरोक्त रिक्तियों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाने एवं बढ़ाने का अधिकार उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० के पास सुरक्षित है।
- आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास आधार कार्ड अथवा विधिमाम्य फोटोयुक्त पहचान पत्र का होना अनिवार्य है।
- उपरोक्त पदों पर आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासियों को ही अनुमन्य है। अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग के अन्तर्गत आवेदन कर सकते हैं।
- विज्ञापित पद पर आवेदकों की संख्या अधिक होने की स्थिति में ऑन-लाइन परीक्षा (CBT) एक से अधिक पालियों/दिवसों में करायी जायेगी। विभिन्न शिफ्ट के प्रश्नपत्रों के मूल्यांकन के पश्चात् संलग्नक-1 के अनुसार Normalisation method (CBT के प्रथम एवं द्वितीय भाग में) श्रेष्ठता निर्धारण में प्रयुक्त होगा।

2. वेतनमान:- वेतन मैट्रिक्स लेवल-04 में वेतनमान रू० 27,200-86,100 एवं अन्य भत्ते उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० में लागू नियमानुसार देय होंगे।

3. सामान्य अर्हतायें :-

(i)	राष्ट्रीयता	सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती हेतु यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :- (क) भारत का नागरिक हो, या (ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या (ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा(म्यांमार), श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीवार) से प्रव्रजन (Migrate) किया हो: प्रतिबन्ध यह है कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया जा चुका हो: प्रतिबन्ध यह भी है कि श्रेणी (ख) में आने वाले अभ्यर्थी को पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा। अग्रिम प्रतिबन्ध यह भी है कि उपर्युक्त श्रेणी (ग) में आने वाले अभ्यर्थी को पात्रता प्रमाण पत्र में दी गई अवधि के पश्चात् सेवा में नहीं रखा जायेगा जब तक उसने भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र न प्राप्त कर लिया हो।
(ii)	आयु	दिनांक 01.07.2022 को न्यूनतम - 21 वर्ष दिनांक 01.07.2022 को अधिकतम - 40 वर्ष
(iii)	चरित्र प्रमाण पत्र	(क)नियुक्ति प्राधिकारी का कर्तव्य होगा कि पुलिस के माध्यम से अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन करवा लें परन्तु किसी भी स्थिति में सत्यापन का कार्य परीवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद के लिए न छोड़ा जाये। सेवा के मध्य कभी भी पुलिस द्वारा अच्छे चरित्र के प्रतिकूल सूचित किया जाता है तो उसे निरन्तर सेवा में रहने की आज्ञा नहीं दी जायेगी तथा उसकी सेवायें बिना किसी नोटिस प्रतिकर अथवा वेतन के निरस्त कर दी जायेंगी।

